न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 25/21 वर्ष 2021

GCMS No- 2021/91

बउनवानीः–1. मोती लाल पुत्र श्री गिर्राज मीना, निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, ईकाई कार्यालय पटेल नगर, अनाज मण्डी रोड़ सवाईमाधोपुर,
3. जनकराज पुत्र गोविन्दा मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर
4. इन्द्रराज पुत्र गोविन्दा मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर
5. कैलाशी पत्नि स्व0 श्री गोविन्दा मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर
6. फूलचन्द पुत्र गिर्राज मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,64 राईट टू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 2075 रकबा 0.18 है0, मे स्थित पौधो की 1/3 हिस्से का अवार्ड देने बाबत।

उपस्थितः–1. श्री विनोद कुमार अग्रवाल — वकील प्रार्थी
2. श्री दीपक शर्मा — वकील अप्रार्थी 2
3. श्री उमाशंकर शर्मा, — वकील अप्रार्थी,3,6

–: निर्णय :– दिनांकः– 26.10.2023

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 2075 रकबा 0.18 है0, मे स्थित पौधो की 1/3 हिस्से का अवार्ड देने बाबत जारी नोटिस कमांक/पीए/भूमि अवाप्ति/संरचना/2020/385 दिनांक 27.8.2020 को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली–बड़ौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.आ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा वाके ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 2075 रकबा 0.18 है0,के खातेदार कमश इन्द्रराज पुत्र गोविन्दा हिस्सा 3/20, कैलाशी पत्नि स्व. गोविन्दा 1/30, जनकराज पुत्र गोविन्दा 3/20, फूलचन्द पुत्र गिर्राज हिस्सा 1/3 मोती लाल पुत्र गिर्राज हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि के अवाप्ति बाबत नोटिस [illegible] 8.2020 जनकराज, इन्द्रराज पुत्र गोविन्दा को जारी किया है। एवं भूमि [illegible] को कम करके गलत रूप से अवार्ड दिये जाने बाबत नोटिस जारी किया है। [illegible] ख0न0 2075 रकबा 0.18 है0 पर लगे हुए नीम के 2 पौधे एवं अमरूद के 15 पौधे [illegible] पुराने है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 14:47:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त पौधो की अवार्ड राशि 57,150/—रू एवं 1688/—रू प्रार्थी को नही दिया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को दिये जाने बाबत नोटिस कमांक 385 दिनांक 27.8.2020 दिया गया है जबकि उक्त आराजीयात का प्रार्थी 1/3 हिस्से का खातेदार है। इसलिए प्रार्थी को उक्त पौधो के अवार्ड मे 1/3 हिस्सा दिलवाये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2—लेन/4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र "दैनिक भास्कर "एवं "राजस्थान पत्रिका "में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की *किस्म बारानी—1 असिचिंत* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा—3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विकय विलेखो की संख्या के अधिकतम दर के आधे विकय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये है प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष मे जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वाके ग्राम डेकवा तहसील स0मा0 की भूमि खसरा नम्बर 2075 रकबा 0.18 है0 मे से 0.0631 है0 भूमि अवाप्त की गयी है भूमि का अवार्ड राशि 1,23,512/—रू का भुगतान हितबद्व व्यक्तियों को किया गया है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/3 है। उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पतियों यथा नीम के दो पेड लगे हुए है जिनकी अवार्ड राशि 1688/—रू एवं अमरूद के 15 पेड 2 वर्ष पुराने लगे हुए पौधो की अवार्ड राशि 57,150/—रू जनकराज,इन्द्रराज,पुत्र गोविन्दा के नाम से जारी हुई है। पक्षकारान के मध्य दिनांक 29.6.2021 को उक्त राशि 1688/—रू एवं 57,150/—रू अप्रार्थी जनकराज एव इन्द्रराज को बराबर हिस्से में दिये जाने बाबत सहमति हो चुकी [illegible] संख्या 6 द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत कर सहमति के अनुसार ही प्रकरण का निस्ता[illegible] जाने बाबत निवेदन किया है। इस प्रकार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा [illegible] प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण [illegible] किये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब/बहस मे निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 2075 रकबा 0.18 है0, के खातेदार क्रमश इन्द्रराज पुत्र गोविन्दा हिस्सा 3/20, कैलाशी पत्नि स्व. गोविन्दा 1/30, जनकराज पुत्र गोविन्दा 3/20, फूलचन्द पुत्र गिर्राज हिस्सा 1/3, मोती लाल पुत्र गिर्राज हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है किन्तु उक्त भूमि के अवाप्ति बाबत नोटिस. दिनांक 27.8.2020 जनकराज, इन्द्रराज पुत्र गोविन्दा को जारी किया है। उक्त भूमि पर लगे हुए पेडो की संख्या व उम्र को कम करके गलत रूप से अवार्ड दिये जाने बाबत नोटिस जारी किया है। उक्त ख0न0 2075 रकबा 0.18 है0 पर लगे हुए 15 पौधे अमरूद के लगभग 4 वर्ष पुराने की अवार्ड राशि 57,150/– रू एवं नीम के पौधो की अवार्ड राशि 1688/–रू प्रार्थी को नही दिया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को दिये जाने बाबत नोटिस कमांक 385 दिनांक 27.8.2020 दिया गया है जबकि उक्त आराजीयात का प्रार्थी 1/3 हिस्से का खातेदार होने के कारण प्रार्थी उक्त पौधो के अवार्ड मे 1/3 हिस्सा चाहता है। वकील अप्रार्थी के कथनानुसार ग्राम डेकवा तहसील स0मा0 की भूमि खसरा नम्बर 2075 रकबा 0.18 है0 मे से 0.0631 है0 भूमि अवाप्त की गयी है जिसकी अवार्ड राशि 1,23,512/–रू का भुगतान हितबद्व व्यक्तियों को किया गया है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/3 है। उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पतियों यथा नीम के 2 पेड लगे हुए है जिनकी अवार्ड राशि 1688/–रू एवं अमरूद के 15 पेड 2 वर्ष पुराने लगे हुए पौधो की अवार्ड राशि 57,150/–रू जनकराज,इन्द्रराज,पुत्र गोविन्दा के नाम से जारी हुआ है। पक्षकारान के मध्य दिनांक 29.6.2021 को उक्त राशि 1688/–रू एवं 57,150/–रू अप्रार्थी जनकराज एव इन्द्रराज को बराबर हिस्से में दिये जाने बाबत सहमति हो चुकी है सहमति पत्र की प्रति अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत कर सहमति के अनुसार ही प्रकरण का निस्तारण किये जाने बाबत निवेदन किया है। इस प्रकार वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन के समर्थन मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया है इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण द्वारा किया गया कथन विधिसम्मत है। अतः भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्तानुसार पारित अवार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नही है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा विधिसम्मत पारित अवार्ड मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष मे उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Scanned with OKEN Scanner